सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 01, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 23, 2021

Asvina 01, Thursday, Saka 1943- September 23, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 27, 2021

संख्या: 25/ भू.अ./ ज.सं./2017/3721:- हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण कार्य हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के तहत जारी घोषणा क्रमांक 1551-1555 दिनांक 03.06.2019, जिसका राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03.09.2019 को हुआ, में अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड तैयार करते समय गैर खातेदार काश्तकारों को मुआवजा निर्धारण के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया था तथा गैर खातेदार काश्तकारों को मुआवजा निर्धारण के संबंध में राजस्व विभाग के पत्रांक प.1(32)राज-6/2021 जयपुर दिनांक 13.08.2021 से मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है, प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार गैर खातेदार काश्तकारों की अवाप्ताधीन भूमि का भी मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किया जाना है, कारण को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा-25 के प्रावधानुसार उक्त घोषणा में 12 माह अर्थात दिनांक 03.09.2020 से 02.09.2021 तक समय सीमा बढाए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

जितेन्द्र दीक्षित,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

9399

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।